

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

02.02.26

पत्रावली पेश हुई ।

प्रार्थीगण के वकील उपस्थित ।


विप्रार्थी संख्या 3,5 व 10 से 14 के नोटिस तामिलसुदा प्राप्त ।
बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय
कार्यवाही अमल में लाई जाती है ।

प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया
गया । प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेंड खातेदार हैं और उक्त
भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है । विप्रार्थीगण के
खेत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ
तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को
उतारू रहते हैं ।

अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते
हैं । ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई
आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम
चन्दननगर तहसील सिवाना की खसरा संख्या 1091/428 रकबा
8.7412 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम
स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को
2000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । शुल्क
प्रार्थीगण मौके पर अदा करें आवश्यकता होने पर तहसीलदार
सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने
हेतु अधिकृत किया जाता है । तहसीलदार बाद पालना, पालना
प्रतिवेदन प्रेषित करें । तहरीर जारी हो । पालना रिपोर्ट प्राप्त होने
पर शामिल पत्रावली की जावे ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।


उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक / 2026 / 3299

दिनांक : 12.02.2026

प्रार्थी
मांगसिंह पुत्र धुंकलसिंह वगैरा

बनाम

विप्रार्थीगण
केलीदेवी पत्नी जगदीशराम वगैरा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश
जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं.151 / 2024

दिनांक :- 02.02.2026

—: आदेश :-

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम चन्दननगर तहसील सिवाना की खसरा संख्या 1091/428 रकबा 8.7412 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000/-प्रार्थीगण.मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

दिनांक : 12.02.2026

क्रमांक: वाचक / 2026 / 3300

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी मिठौडा तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थीगण मांगसिंह पुत्र धुंकलसिंह जाति राजपूत निवासी चन्दननगर तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरा




उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)